श्री सच्चिदानन्द राय, माननीय स०वि०प० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं०–106/2016 से उद्भूत आश्वासन सं०–08/182 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदनः

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन प्रतिवेदन
छपरा (सारण) जिला के एकमा प्रखंड का धुरदें चँवर लगभग 2700 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जहाँ सालो भर पानी जमा रहता है। एकमा नगर एवं कई पंचायतों से सटे इस चँवर के पानी की निकासी नहीं होने के कारण उक्त चँवर की जमीन की कोई उपयोगिता नहीं है। सन् 1977 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री स्थानीय विधायक एवं विभागीय कार्यपालक अभियंता उक्त चँवर से तेल नदी में निकासी की योजना का शिलान्यास किया गया था। लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतारा जा सका। सन् 2007 में माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने एकमा प्रवास के दौरान उक्त योजना को साकार करने हेतु उक्त चँवर में जमे पानी की निकासी की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक चँवर में जमे पानी की निकासी की दिशा में कोई योजना चालू नहीं की गई है। अतः मैं सरकार से उक्त धुरदें चँवर में एकत्रित पानी की निकासी कर जमीन को उपयोगी बनाने जैसे गंभीर विषय पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मॉग करता हूँ।	सरकार धुरदें चँवर के पानी की निकासी कर जमीन को उपयोगी बनाने का विचार रखती है। उल्लेखनीय है कि धुरदें चँवर का कार्य वर्ष 2007 में गाडा द्वारा सोंधी जल निस्सरण योजना के अंतर्गत कराया गया था। वर्ष 2010 में एकमा प्रवास के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के निदेशानुसार धुरदें चँवर की जल निकासी हेतु पुनः 542.26 लाख रूपये का एक विस्तृत योजना प्रतिवेदन वर्ष 2011 में तैयार किया गया था, किन्तु पूर्व में गाडा द्वारा कराये गये कार्य पर निगरानी विभाग, बिहार पटना के जाँच के चलते रहने के कारण योजना प्रतिवेदन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी।	वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला के एकमा प्रखंड अंतर्गत धुरदें चँवर अवस्थित है। इस चँवर का जल निकासी सतही बहाव द्वारा नाला के माध्यम से सोंधी नदी में होता है। सारण जिलान्तर्गत बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के समेकित उद्देश्य से योजना तैयार की गई है जिसमें प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित एकमा चँवर से जल निकासी का कार्य भी सम्मिलित है। इस चँवर के अन्तगर्त ही धुरदें चँवर भी का जल निकासी कार्य सम्मिलित है। दिनांक 22.05.2026 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के 162 वीं बैठक में इस योजना के प्रथम चरण की स्वीकृति यथा तकनीकी मूल्यांकन प्राप्त है। भारत सरकार से इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार से योजना के स्वीकृति उपरांत इसके कार्यान्यवन निमित कार्रवाई की जाएगी। योजना कार्यान्वयन पश्चात् धुरदें चँवर से जल निकासी हो सकेगा।

P.T.O.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–05 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 182वें सत्र के उनके ज्ञापांक–120(6) दिनांक–31.08.2017 से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रश्न सं0–106 / 16 से उदभूत आश्वासन सं0–08 / 182 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–05 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–05 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–05 / 2026– ५५३१ पटना, दिनांक–06/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव